

COMMITTEE ON GOVERNMENT
ASSURANCES

(i) EIGHTH REPORT

SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchengode): I beg to present the Eighth Report of the Committee on Government Assurances.

(ii) EVIDENCE

SHRI ANBAZHAGAN: I beg to lay on the Table a copy of the Evidence given before the Committee on Government Assurances on the 3rd April, 1970 by the representatives of the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) and the Delhi Administration in connection with the allotment of land to various Cooperative House Building Societies in Shabdara Zone.

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 1085 RE. WRITING OFF OF TAX ARREARS AGAINST SHRI HARIDAS MUNDHRA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): In reply to supplementaries to Starred Question No. 1085 in Lok Sabha on 20-4-1970, it was stated that out of the total arrears of Rs. 1.97 crores outstanding in the case of Shri Haridas Mundhra, the disputed demand is Rs. 1.57 crores and the balance of Rs. 40 lakhs is the undisputed demand.

2. The position of disputed and undisputed demand was inadvertently stated in the reverse order. There was also some slight error in the figures. The correct position is that the undisputed demand in the case of Shri Hari-Das Mundhra is Rs. 1.59 crores and the disputed demand is Rs. 38 lakhs.

13.29 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1970-71—contd.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 99 and 100 relating to the Department of Social Welfare for which 5 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes. As there is no lunch hour, even 20 minutes is all right. They may send their cut motions.

I think we should name the 'zero hour' as 'stormy hour.'

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): It is a very welcome hour, Sir. Members can exercise their democratic right.

MR. SPEAKER: It is so exhausting, I tell you.

SHRI HEM BARUA: What is exhausting? You are a sturdy man, Sir.

DEMAND No. 99—DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 16,83,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Department of Social Welfare.' "

DEMAND No. 100—OTHER REVENUE EXPENDITURE OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 7,87,04,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1971, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare.' "

The Demands are before the House Hon. Members may now move the cut motions.

SHRI MOLAHU PRASAD (Bausgaon): I beg to move:

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Shri Molahu Prasad]

[Failure to ensure adequate representation to Scheduled Castes/Scheduled Tribes in respect of employment in those industrial concerns having more than 51 per cent Government investment. (13)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Failure to provide legal powers to District Harijan Welfare Officers to check exploitation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes. (14)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Needless abolition of social welfare organisation of each district of U.P. (15)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Closing down of five boys/girls schools run by social welfare organisation in Gorakhpur District last year. (16)]

That the Demand under the Head Other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Failure to legalise social and development organisations. (17)].

That the Demand under the Head Other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

Failure to give details of grants-in-aid to private agencies. (18)]

That the Demand under the Head Other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Failure to ensure free primary education to the children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the last twenty-three years. (19)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Allowing social and developmental organisations to propagate on behalf of ruling party. (20)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Failure to give timely intimation and disburse scholarships to students in time by Headmasters. (21)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Policy of giving inadequate amount of scholarships. (22)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Stay of enquiry into alleged misuse of grants to Harijan Welfare Department of Gorakhpur District. (23)].

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Grant of scholarships to Scheduled Castes/Scheduled Tribes trainees and other trainees in industrial training centre, Chargaon. (24)]

SHRI K. HALDER (Mathurapur): I beg to move;

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Total neglect of Sundarban area of West Bengal where a large number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes live. (25)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced to Re. 1.

[Failure to distribute Government Khas land and excess land (above ceiling) to the landless Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other peasants. (26)]

That the Demand under the Head

Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to safeguard interest of Scheduled Caste and Scheduled Tribe and other refugees of West Bengal who are rehabilitated in Mainital (U.P.). (27)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to increase allotment of funds in the Fourth Five-year Plan for the upliftment of backward classes. (28)]

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I beg to move:

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to improve the conditions of backward classes including Scheduled Castes and Tribes even after spending 275 crores of rupees during the last 18 years. (29)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to recast our plans and reorient our policies *vis-a-vis* the backward classes in view of the failure of the policies adopted so far. (30)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to do away with the present system of nomenclature of backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which is responsible for giving a longer lease to the much hated caste system. (31)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to re-define the backward classes, on the basis of one's financial status and not on the basis of the caste in which he might have been born. (32)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to abolish the alleged privileges and artificial protection allegedly given to the so-called Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes, which have, instead of enabling them to stand on their own, crippled their natural growth. (33)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to do away with the artificial and man-made difference between man and man by evolving a common Code of Conduct for all and providing every body without any distinction, all facilities for education and employment. (34)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to prevent polygamy amongst the muslims of our country and thus put the muslim women at par with their Hindu sisters. (35)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to stop begging in big towns and places of pilgrimages. (36)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to enforce prohibition specially amongst the labour and high Government officials. (37)]

That the Demand under the head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to stop serving of liquor at official parties given by Government. (38)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Shri Beni Shanker Sharma]

[Need to give more financial help to Institutions engaged in treatment and eradication of leprosy specially those working in the tribal areas of Santhal Parganas. (39)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to impart free education to the children of poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes upto the Higher Secondary stage. (40)]

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): I beg to move:

That the Demand under the head Department of Social Welfare be reduced to Rs. 1.

[Failure to stop beggary in the country (41)]

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

That the demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to implement Dhebar and Kalelkar Commissions' reports in order to move forward towards social welfare. (42)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to provide more funds to grant scholarships to students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes. (43)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to increase the quantum of scholarships being granted to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. (44)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to grant special aid to the handicapped, the blind and the dumb. (45)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to make proper arrangement for the rehabilitation of the handicapped, the blind and the dumb. (46)]

That the demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to make an announcement regarding inclusion of Qazia community of Bihar into Scheduled Castes. (47)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Unsatisfactory working of Social Welfare Department. (48)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to broaden the activities of Social Welfare Department. (49)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to spend more on Social Welfare Works. (50)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to eradicate untouchability from the Society. (51)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to make practice of untouchability a penal offence. (52)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to take drastic action against those who preach untouchability. (53)]

MR. SPEAKER: The cut motions are also before the House.

श्री शिवनारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करती है, कम से कम इनका दावा तो यही है। समाज कल्याण मंत्री महोदय हमारे सामने बैठे हुए हैं, कानून के बड़े पंडित हैं, लेकिन कानून का कितना अमल कराते हैं—भगवान मालिक हैं। इस सरकार

13.29 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

में इतने अबगुण और दुर्बुद्ध करे पड़े हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं है। शराब बन्दी का सारा इस देश में 22 वर्ष पहले से लय रहा है। इस शराब की बंदीत हमारे देश का गरीब तबका, हमारे हरिजन भाई जब पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, शराब पीकर तवाह होते जा रहे हैं, उन के बीबी बच्चों को बहुत तंरुलीफ होती है, लेकिन इस सरकार ने इस पर कोई गोर नहीं किया। यह इस सोसायटी का एक ही निम्न आइम है, लेकिन इस को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शराब बन्दी करो, लेकिन महात्मा गांधी के नाम का डोल पीटने वाली इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह शराब की दुकानों को बन्द करे और जहाँ शराब की दुकानें हों भी तो वह मजदूर और हरिजन बस्तियों में नहीं होनी चाहिए बल्कि वहाँ से कोसों दूर होनी चाहिए ताकि भ्राने जाने में ही कुछ समय लगे और इस तरह से वे लोग वहाँ न पहुँच पायें।

इसके बाद मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो पांच साल के नन्हे-नन्हे बच्चे हैं उनके पोषण और खाने-पीने के लिए वह क्या कर रहे जा रही है। इस बुढ़िया सरकार को बद्रत्नने वाली यही सन्तान जो कि

भ्राने वाली है, वही होगी। इसलिए सोशल वेलफेयर और वेलफेयर स्टेट का मूल काम यही होता है कि वह पांच साल की उम्र वाले बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों के भोजन तथा पालन पोषण का विशेष प्रबन्ध करे। यह देश गरीब है इसलिए यहाँ पर सोशल वेलफेयर का यही काम है।

इसके अलावा मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि दो सौ रुपए से कम आमदनी वाले लोगों के बच्चों के लिए फ्री तालीम का प्रबन्ध होना चाहिए, हरिजन और आदिवासी बच्चों के लिए ज्यादा होस्टेल्स होने चाहिए तथा उनको वजीफा समय पर मिलना चाहिए। आज सरकार वजीफा देती तो जरूर है लेकिन समय पर नहीं देती है। हमारे बच्चे त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं और जब उनका नाम कट जाता है, खाना नहीं मिलता है तो वे अपने घरों को चल देते हैं "रहिमन वे नर मर चुके जै कहि मांगन जायें, उनते पहिले वे मरे जिन मुख निकसत नाहि।" आज आप बच्चों को घोखा दे रहे हैं। घोखा न दो भईया, मजझार में है नईया। हमारी ही नहीं, तुम्हारी भी मजझार में है। गांवों में जो हरिजन और आदिवासी लोग बसते हैं वही इस देश की रीढ़ हैं। उन्हीं के बल पर आज सफेद कालर पोश घूम रहे हैं। उनकी कमाई पर ही गुमान कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। स्कूल के बच्चों को दोपहर में गरम-गरम खाना मिलना चाहिए। उनके स्वास्थ्य की अच्छी तरह से देख-भाल की जानी चाहिए। उनके लिए चश्मे और हियरिंग-ऐड की फ्री व्यवस्था होनी चाहिए। मानसिक रोगियों के परिवारों, टी० बी० के पेण्डेंट्स और लेप्रसी के लिए आपको जरूर कुछ करना चाहिए। खाली बात करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल रूप में कुछ करना चाहिए। इस सिलसिले में मैं अमेरिकन लोगों की बिना बारीफ किए हुए नहीं रूढ़ सकता हूँ

[श्री शिव नारायण]

जिन्होंने कि यहाँ पर आकर लेप्रसी के हास्पिटल्स खोले जबकि इस देश के ब्राह्मण, राजपूत और दूसरे लोग लेप्रसी के पैशेन्ट्स को छूने के लिए भी तैयार नहीं हैं। वे क्रिश्चियन लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, भले ही आप उनको गाली दें लेकिन मैं आज उन मिशनरी के लोगों को जरूर ध्व्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस मामले में वे आपसे सौ गुना आगे हैं। मैं ह्यूमेनिटी के नाम पर इस बात का जिक्र कर रहा हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि इस नेशनल गवर्नमेन्ट का आज नक्शा क्या है। बुढ़ापे की हालत सभी की खराब होती है चाहे कोई रईस हो या गरीब हो। इस सरकार ने कई स्टेट्स में बुढ़ापे की पेंशन का इन्तजाम किया लेकिन वह मिलती नहीं है। उसका फार्म इतना टेढ़ा होता है कि उसको न तो एस. एम. बनर्जी साहब भर सकते हैं और न मैं ही भर सकता हूँ। और उसमें भी आप सिर्फ 15 रुपए ही देते हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। कम से कम 30 रुपए तो मिलने ही चाहिए। बुढ़ापे में सहायता करने का काम बहुत ही ज़ेन्युइन है और बहुत ही प्रोग्रेसिव है। आप सोशलिस्ट और प्रोग्रेसिव होने का दावा करते हैं। अगर मेनन साहब इस काम को कर दें तो हम समझेंगे कि उन्होंने एक नमूने का काम कर दिया है। आप बरसरे-एक्तिदार हैं और इस सरकार के ला-मिनिस्टर हैं, अगर आप यह काम करेंगे तो हम समझेंगे कि समाज कल्याण मन्त्री न एक सुन्दर काम किया है। तभी आपकी तारीफ़ की जायेगी। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हवा में बात करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सरकारों को गिराने में ही लगे हुए हैं और इस पूँर सोसायटी के लिए आपके दिल में जरा भी खयाल नहीं है। . . . (व्यवधान) . . . मेरी आपसे मांग है कि वैश्याओं और उनके बच्चों के

लिए नये धंधों का आप प्रबन्ध करें। वैश्या-वृत्ति को आपने समाप्त कर दिया है तो फिर आप उनके लिए नये नये कामों का इन्तजाम भी कीजिए क्योंकि वास्तव में यही सब समाज-कल्याण का काम होता है।

अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी जी के जमाने की हवा पैदा की जाये और जो गांधी जी ने कहा था उस पर भ्रमल किया जाये। आज यह नई कांग्रेस जोकि लास्ट ईयर नवम्बर में पैदा हुई उसका हाल यह है कि भंगी कालोनी बसाई जा रही है लेकिन घेवर भाई जैसा वहाँ पर कोई बैठने वाला नहीं है, मिसेज गांधी का कोई भी नेता वहाँ पर बैठने वाला नहीं है, कोई चर्खा चलाने वाला नहीं है। आप किस तरह से देश का कल्याण करेंगे? मैं कहता हूँ कि अब भी सबेरा है, गांधी फिलासफी में विश्वास करो यह कम्युनिस्ट फिलासफी कभी भी आपके काम नहीं आयेगी। बंगाल का नकशा हमारे सामने है कि मां के सामने जवान बेटे को कत्ल किया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस गवर्नमेन्ट के लिए और क्या हो सकती है। इस सरकार और होम मिनिस्ट्री का यह अट्टर फेल्योर है। सोशन वेलफेयर मिनिस्टर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ला मिनिस्टर हैं, आपको देखना चाहिए कि देश में सही ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन हो। गरीबों और हरिजनों को सही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन आज प्रसहाय लोगों का कत्ल बंगाल में हो रहा है। मिसेज गांधी की गवर्नमेन्ट में यह चीजें हो रही हैं। लोगों ने कहा कि स्ट्री की गवर्नमेन्ट बननी चाहिए तो वह गवर्नमेन्ट बन गई। बड़ी प्रोग्रेसिव गवर्नमेन्ट है लेकिन उसका नकशा यह है कि लोगों को राहत नहीं है, समाज में त्राहि मची हुई है। उत्तर प्रदेश में चरणसिंह की गवर्नमेन्ट बनाई गई लेकिन वहाँ भी फुस-फुस हो रही है कि चरणसिंह को हटाओ क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं हैं। . . . (व्यवधान) . . .

अस्पृश्यता निवारण अगर आपने नहीं किया तो उसका फल आप भोगेंगे । काम करनेवाली स्त्रियों के बच्चों को सम्हालने के लिए फ्री नर्सरी स्कूल खोले जायें । सरकारी चौकरी में महिलाओं के लिए तुरन्त प्रबन्ध किया जाये । जो महिलायें आज काम करती हैं उनको ठीक से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है । समाज कल्याण के यही सारे काम हैं । आपको यह तमाम काम करने चाहिए । हरिजन लड़कों को ठीक समय पर बज्जीफा मिलना चाहिए । आज हरिजनों के पढ़े-लिखे एम. ए. पास लड़के इलाहबाद की गलियों में घूम रहे हैं, आनन्द भवन के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, मिसेज गांधी इलाहबाद की हैं । हमारे बी. ए., एम. ए. पास लड़के जब कम्पीटीशन में जाते हैं तो पब्लिक सर्विस कमिशन वाले कहते हैं कि काला-कलूटा कहाँ से आ गया, इसका नंबर जीरो कर दो । बस्ती के डिग्री कालेज में हमारा एक लड़का फर्स्ट क्लास आल राउंडर, लेकिन प्रैक्टिकल में उसके 25 नम्बर कर दिए, उसका डिवीजन मार दिया । आज भी इस समाज में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, चारों की वर्ग व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है । अगर यह सरकार प्रोप्रेसिव और समाजवादी होने का दावा करती है तो फिर उसको चाहिए कि गरीबों की मदद करे । गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है—यह नारा सुखदेव और भगतसिंह ने लगाया था । अगर यह गवर्नमेंट इस देश का कल्याण चाहती है तो वह गरीबों की मदद करे और ईमानदारी के साथ समाज कल्याण पर अमल करे तभी इस सरकार और इस देश का कल्याण हो सकता है ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं समाज कल्याण विभाग की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call on Shri Basumatari, I would like to say that since we have a long list of speakers from his party, I would ask each member to confine himself to ten minutes so that we can accommodate as many of them as possible.

SHRI BASUMATARI (Kokrajhar): While supporting the Demands for Grants of the Department of Social Welfare, at the outset I would like to congratulate the Government for extending by another ten years the period of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Not only that, they have set up a Parliamentary Committee to see whether the Report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner has been implemented or not. Further, the Government have brought forward a Bill, which has already been referred to the Select Committee, for revising the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Report has been submitted to the House. They had a meeting of the Chief Ministers and other concerned Ministers of the States last January also to see whether the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been properly looked after and Hon. Minister requested them to set up similar Committee in the States also.

The question is whether the Reports of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner have been implemented or not. You may extend the period of reservation, you may say many good words, many sweet words to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, but it is not going to solve the problem. The question is whether the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been brought to the same level as the other sections of the society as intended by the father of the Nation, Mahatma Gandhi. You have not been able to do this, and hence you had to extend the period of reservation from 10 to 30 years.

Let us see what has been done. We had the privilege to go round the country and see not only the plains but the hills. We cannot but shed tears when we see the plight of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Only the other day I visited the State of our hon. Minister, Kerala. We found that 80 per cent of the Scheduled Castes there have no land.

Kerala is said to have the highest percentage of literacy, 46 per cent, with the literacy of the Scheduled Castes at 24 and Scheduled Tribes at 17 per cent. Mr. Deputy-Speaker, you were also there when we visited Kerala. We found that children of the age of five or six who were brought to the schools were given education only for two years. When we asked whether there were any arrangement

[Shri Basumatari]

for higher education the reply was in the negative. We also found these children in their respective homes who could not write their own names and thus relapsed into illiteracy. So, the statement that Kerala has the highest percentage of literacy in regard to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is wrong. I think it amounts only to two or three per cent.

I am glad that a Parliamentary Committee has been set up on the demands of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Members, but I am sorry that the Minister has gone back on his promise that all the recommendations of this Committee would be accepted. At the same time, the powers and terms of reference of the Committee are also not sufficient. I request you to go to the States to see for yourself what the actual position is. The Hon. Speaker said at inaugural time that we had to request for green signals from the States if we wanted to visit the States. We wrote to the Chief Minister and every State encouraged and welcomed us and we were given warm reception when we visited the States. We saw that the States found fault with the Centre and asked why more amount was not allotted and the amount that was allotted in those days in 1951 still continued and had not been increased. There has been no increase in developmental activities. I am very sorry to inform the hon. House that there are 498 development blocks set up in the tribal areas. We had been to some of the tribal blocks and we had found that the money that had been set apart had not been properly utilised; it had been spent for big buildings for big officers and for all the paraphernalia. At the same time, if you see how many schools or hospitals had been constructed for Scheduled Tribes, you will be simply disappointed. Mr. Deputy-Speaker, you were there and you know. Many sweet words are spoken in Parliament to the effect that we may expect the Scheduled Castes and Tribes to come to the same level as intended by the Father of the Nation. When this Committee was set up our Hon. Minister promised that the report submitted by this high-powered committee—the name is high-powered committee—will be implemented so on and so forth. While replying to the motion moved here he said so. But we all know well that after a few months, on May 29, 1969 a cir-

cular was issued from the Social Welfare Department putting restrictions on scholarships on the ground that the number of students had increased tremendously. What is the increase? I ask you whether money allotted for this purpose had increased since 1951. That is the question. The Hon. Minister was good enough to make a statement in reply to the debate last year which reads:

"In the year 1950-51 the number of post-matric scholarships given to Scheduled Tribes students was only 348 and in the year 1966-67, it is 17,760."

17,000. Yes. But after how many years? What is the increase in number in the case of other higher section of the population. The working group and authority think that the Scheduled Castes and Tribes had been brought to the same level and there is criticism that they are given enough of this facility and that facility. What about the services? They talk of reservation. There is reservation only in lower classes. In respect of other categories they say suitable candidates are not available. Who are suitable candidates? One may be a suitable candidate for the hon. Minister; and not to me. It is a matter of opinion? On that ground they refused by saying that those who applied from the Scheduled Castes and Tribes are not suitable for the services.

In regard to Scheduled Castes, in Class I, the percentage is 2.11; Class II, 3.11; Class III, 9.22 and in Class IV, 18.32. These are the figures as on 1-1-1968. In regard to Scheduled Tribes, the percentage in Class I is only 0.59; Class II, 0.41; Class III, 1.27 and in Class IV, 3.61. This is their condition in the services. I would like to tell the hon. Minister one thing: while we attend the meetings, they say that they have done many things; still we are not satisfied. But when we look into these figures, when we pass through these figures, we see that this is the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of development. Is this the speed with which they can be brought to the same level as of the other people in India, which was intended in the constitution?

The other day, we were discussing that after the constitution of this high-power

committee, it will look to the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the various fields of activity. But then restrictions have been imposed. I do not know whether the office has cared to discuss this question with the Minister or the Prime Minister. But that imposition is there still as it is found. For instance, the Scheduled Tribe boys used to get scholarship without any consideration of the ceiling of the income of their parents or guardians, in respect of post-graduate education. But now, a condition about the income has been laid down and, at the same time, marks have also been restricted. Unless one gets 45 per cent of marks for postgraduate students, the scholarship will not be given. People in high positions do not know the conditions in which the Scheduled Castes and Scheduled Tribes live. They sit under a canopy, and work in air-conditioned chambers. How can they feel about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? It is not possible. They feel that they have done enough for these people. They do not know where from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes come: they do not know what is the condition of their family; what are the conditions in which they have to live and work. Even if they know it, it is impossible for us to convince them and make the Minister agree to it.

Take, for instance, the boys from the Tribes. The areas are thinly populated. You, Sir, as a tribal, know how the tribal people live. Their boys have to walk a distance of five to seven miles to go to their schools. They leave their homes early in the morning and return late in the evening. They have little or no time to study. Therefore, we have been crying—for residential or Ashram type of schools so that there could be a better type of teaching and greater contact between the students and the teachers. We have been crying for it for a long but who will care? Whatever good we suggest, they do not pay any heed. But whatever bad things can come, whatever harm is there, they at once take them up.

Therefore, the point is this. Many sweet words were spoken here and many assurances were given. But they are not implemented. Not only are they not implemented; but they are opposed to implement them. This has been discussed in committees after committees,

and they themselves are very, very reluctant to accept the suggestions made. Therefore, I would request the hon. Minister to see how these promises could be implemented, and to implement whatever suggestions are made by the Committee.

This Committee has been loudly acclaimed outside, that it is a high-power Committee to examine the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the activities in regard to them at the Centre, in the Ministries, in the various States, of India and elsewhere, in the public and private undertakings. We have been visiting all the places; we have examined the position in many public undertakings and other undertakings also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member's time is up.

SHRI BASUMATARI: I am finishing. I want to bring to the notice of the House another point. A number of projects have been started by the Central and State Governments and these projects are only in the tribal areas, and lakhs and lakhs of people have been ousted from their homes and hearths. We have been urging upon the Government that they should make provision, along with the scheme of the project, for settling these people properly. But what has been the position? These people have been ousted from their hearths and homes and they are found without a home, without land. They are now moving from place to place in search of lands. We have been asking the Government to help them, but the Government have refused. Therefore, while you say that the country has developed—if you see the map of India the picture may be quite different but the plight of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes remains the same. Sir, you people from the hill areas agitated and got a separate State. So, I would rather encourage the tribals of the other areas also to demand the same. Otherwise, the eyes of the people will not be opened to their sad plight.

SHRI K. HALDER (Mathurapur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I shall deal mainly with the problem of land, agriculture and education to participate in the discussion of social welfare. In my opinion the severe crisis which the backward classes are facing chiefly lies there.

[Shri K. Halder]

I fully agree at least with the remark of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.—He says:

"The land hunger in the scheduled caste is neither a fancy nor jealousy; but they are anxious and impatient to move out degrading economic and social life of landless labourers which have kept them ill-fed, half-naked and devoid of bare necessities of life."

A large section of Scheduled caste and Scheduled tribe population of our country earn their livelihood through working on land. According to Census report 1961, there were 3.15 crore agriculture labour in the country, out of which 1.04 crore (33%) belong to Scheduled caste and 0.33 crore (10.47%) Scheduled Tribe, i.e. they constitute nearly half of the total agricultural labourers. They get temporary work only for 3 to 4 months of the year. These people try to earn something the rest of the year going from one place to another. This will reveal the wretched condition of the backward classes of our Country.

The tribals mostly depend upon land. It gives them a sense of security. But there have been cases of alleged attempt to deprive the Scheduled Tribes from their land and forest on which they depend for livelihood.

Now, agriculture has become a profitable industry due to increased agricultural production by making available irrigation facilities, use of fertilizer, adoption of high yielding varieties etc.

In addition to this, high price of food-grain also allures the well-to-do and absentee landlords to purchase the land of small farmers; the majority of whom happen to be scheduled castes and scheduled Tribes. Thus the alienation of land from the tillers of the soil taking place.

The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be taken into consideration in this matter. It says:

"Persistent demand and agitation by the Scheduled caste for allotment of agricultural land is not only to seek adequate

means of livelihood in rural areas, avoid concentration of wealth and means of production in the hands of a few and distribute the ownership and control as envisaged by the framers of Constitution, but they seek social equality which have been demanding for centuries."

It is often read in the press that Government is talking about green revolution, through monetary assistance, irrigation facilities, fertilisers, etc. But Government's policy of guaranteeing minimum price of foodgrains to cultivators did not proportionately add to the wages of the labour. The benefit derived from the liberal policies have more or less been grabbed by land-owners though legitimately they should have been shared with the labourers.

14 hrs.

The Agrarian Reforms Committee set up in 1948 with Shri J. C. Kumarappa as Chairman recommended that land should belong to tillers and that there should be no place for intermediaries. The Committee said that there should be security of tenure, protection against eviction of tenants and against rack-renting and illegal ejections. But twelve years after that report the condition of the peasants remains almost the same. Only recently the United Front Governments of West Bengal and Kerala took some measures in favour of share croppers and agricultural labourers. Those rights must be safeguarded and must not be taken away by hook or crook with the help of the reactionary forces.

In the field of education, after seventeen years of special privileges given to them, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are far behind the other people, though the key to upliftment of all backward people largely lies on education. Under article 45 of the Constitution the State shall endeavour to provide free and compulsory education for all children up to the age of fourteen years. This was to be achieved by 1960. But the government have miserably failed even ten years after the target date on the plea of shortage of funds, wastage etc.

In the State of Orissa the Scheduled Tribes and Scheduled caste constitute 24.07 and

15.75 per cent respectively of the population. Yet, in the 1966 only 2.7 per cent and 3.1 per cent belonging to them appeared in the higher school examination. The Commission may find out the reason for this lack of education but it cannot be denied that the deplorable economic condition is the main reason because of which the people cannot send their children to school regularly.

Though Scheduled Castes and Scheduled Tribes are still far behind the other sections of the people, the educated youths are deprived of their share in services which are reserved for them on flimsy grounds. To encourage them in education the backward people must be given their proper share in the society. On the other hand, those who are in the service are not getting promotion according to rules. This must be looked into.

I expected that at least the government shall be serious regarding the problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes after the first defeat in 1968 on a motion moved by me in the discussion on the report of the Commission. But, to our dismay, the situation remains almost the same.

There is crisis all around the country. The backward classes who are landless, homeless, unemployed, uneducated are the worst sufferers. Since independence they are waiting for the fulfilment of the assurance of government of better living conditions. Now their patience has come to an end and they are seeking the way of survival.

If the Government fail to redress their grievances and only see with jaundiced eyes Naxalite activities everywhere, the main problem will not be solved. These exploited people will be easy prey to those who will come forward with the hope of a bright future. That is the reason why the Naxalite activities are spreading from towns to villages. I have also my practical experience when I worked among the exploited people of Sundarbans nearly two decades ago. They fought like one man against the exploiters, police and military in the same breath for their legitimate demands. So, mere repressive laws will not rescue the government from this catastrophe. Still, the Sundarbans is thoroughly neglected and the people are far behind the rest of the people in our country both economically and in education. So,

I hope the government will proceed without any hesitation with the recommendations of various committees and commissions and not hoax the innocent people with big promises.

श्री कांबले (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण की जो डिमांडज हैं उनमें जितना रुपया रखा गया है, उसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि पिछले दो साल से यह बजट कुछ प्रगतिशील रहा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। कुछ मात्रा में आपने बजट में धनराशि को बढ़ाया है। लेकिन बजट के साथ जिन पर वह खर्च होगा उनकी आबादी को देखा जाए तो जो उन लोगों को उन्नति पथ पर ले जाने का हमारा जो लक्ष्य है, उनमें हम किस हद तक सफल हुए हैं और समाज में जो असमानता है उसको दूर करने में हम किस हद तक कामियाब हुए हैं, इसको भी हमें देखना होगा। इसको अगर आप ध्यान रख कर बजट बनायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

डिमांड नम्बर 99 और डिमांड नम्बर 100 में कुल मिला कर आपने 9 करोड़ 64 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि हमें बताया जाए कि आबादी के लिहाज से यह कितने प्रतिशत बैठता है। 1961 में जन गणना हुई थी। उसके अनुसार इनकी आबादी लगभग दस करोड़ के करीब थी। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों की मिल कर 1970 में वह बारह करोड़ के ऊपर चली गई है जबकि देश की आबादी पचास करोड़ है। मैं चाहता हूँ कि इस हिसाब से हमें बताया जाए कि आपने जो प्रिविजन बजट में उनके लिए किया है, जो धनराशि रखी है, यह किस हद तक इस विशाल जन संख्या की डिमांड की पूर्ति करती है? समाज कल्याण विभाग की जो रिपोर्ट है उनके पेज 10 पर आपने यह लिखा है :

[श्री कांबले]

"गैर योजना बजट में लगभग 35 करोड़ रुपये वचनबद्ध किए जाने के अतिरिक्त योजना आयोग ने चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के लिए 135 करोड़ रुपये की (60 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के लिए तथा 75 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा सहायता पाने वाले कार्यक्रम के लिए) व्यवस्था स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारें अपने गैर योजना बजटों में से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर रही हैं।"

मैं अनुरोध करूंगा कि हमें बताया जाए कि 170 करोड़ पांच साल के लिए आपने जो रखा है और जो लगभग 34 करोड़ साल का बैठता है, इनकी आवादी को देखते हुए क्या यह पर्याप्त है, इनकी शोचनीय दशा देखते हुए क्या यह पर्याप्त है? मंत्री महोदय सभी आंकड़ों को जोड़ कर बताएं कि लोक-संख्या के अनुसार यहां का जो बजट बनता है उसमें स्टेट्स का बजट भी अगर जोड़ लिया जाए तो समाज कल्याण के खाते में आप कितना खर्च करने जा रहे हैं। यह सब से पिछड़ा हुआ वर्ग है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टियों से सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है। इसको देखते हुए आप हमें बतायें कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के लिए कितना खर्च आप करने जा रहे हैं?

अब मैं सामाजिक जीवन की बात कहता हूँ। पिछले दिनों हमने गांधी शताब्दी मनाई। इस वर्ष में और उन दिनों में कितने हरिजन लोगों पर जुल्म हुए, कितने लोगों पर लाठियां पड़ीं, कितने लोग मारे गए, क्या इसके भी आंकड़े आपके पास हैं? इस अन्याय को दूर करने का क्या प्रबन्ध समाज कल्याण विभाग अपनी ओर से करने

जा रहा है? जो मारे गए हैं या जो घायल हुए हैं उन में से कितने लोगों को आपने सहायता दी है? जो बोधी व्यक्ति थे, उन में से कितने लोगों को आपने पकड़ा है और कितनों को आपने सजाया दिलाई है? जो सामाजिक अन्याय उनके साथ होता है उसको रोकने के लिए आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया है ताकि आगे चल कर सामाजिक अन्याय न हो? इसके लिए क्या कोई व्यवस्था आपके पास है?

गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजन उद्धार के कुछ काम हुए पिछड़े वर्गों को सहायता देने के नाम से कार्यक्रम हुए। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी देखने को मिला है कि सब से ज्यादा जुल्म हरिजनों पर इसी वर्ष में हुए है। गांधी शताब्दी वर्ष मनाते हुए कहां तक हम पहुंच चुके हैं। सामाजिक सुधार के कौन से कार्यक्रम आपने हाथ में लिये हैं और ये जो जुल्म उन पर होते हैं, ये न हों, इसके लिए आपने क्या कुछ किया है?

अस्पृश्यता आज भी देश में विद्यमान है। इसको गांधी जी ने देश का कलंक कहा था। हमें आजाद हुए 22 साल हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अस्पृश्यता उन्मूलन में हम कहां तक पहुंचे हैं और इसको दूर करने में हम कहां तक सफल हुए हैं? आजादी के बाद देश के नेताओं ने यह निश्चय किया था कि देश में जो वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से सब से पिछड़े हुए हैं, उनकी स्थिति के बारे में ब्यौरा एकत्रित किया जाये। इसके अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की नियुक्ति की गई, जिन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट गवर्नमेंट को 1951 में दी। उसके बाद हर साल उसकी रिपोर्ट सरकार को पेश की जाती है। इन रिपोर्टों में हरिजनों और आदिवासियों की सर्व-साधारण स्थिति और उन पर होने वाले जुल्मों

और अन्यायों के बारे में पूरा विवरण दिया जाता है। इस के साथ ही उन रिपोर्टों में हरिजनों और आदिवासियों की स्थिति को सुधारने और जुल्मों तथा अन्यायों को दूर करने के बारे में सुझाव भी दिये जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने उन में से कितने सुझावों पर अमल करने का यत्न किया है।

यह खुशी की बात है कि पार्लियामेंट की ओर से भी 1968 में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन श्री बसुमतारीजी ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उस कमेटी की भी पांच रिपोर्टें आ चुकी हैं, जिनमें हरिजनों और आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में ब्यौरा दिया गया है और उनकी हालत को ऊंचा उठाने के लिए सुझाव भी दिये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इन सब रिपोर्टों के आधार पर कौन-कौन से ठोस कदम उठाये हैं और भविष्य में वह कौन से कदम उठाने जा रही है।

राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण के पृष्ठ 5, पैराग्राफ 14 में कहा गया है : "भूमि-सुधारों पर तेजी के साथ अमल करने से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जन-जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार को इन लोगों के कल्याण की विशेष चिन्ता है" जब सरकार को इन पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष चिन्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में की है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से भूमि-सुधारों और इन वर्गों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने की दिशा में क्या-क्या कार्य किये जाने वाले हैं ?

गांधीजी ने यह ठीक ही कहा था कि **प्राथमिकी** जो भी योजना बनाई जाये, उसमें

यह देखना चाहिए कि समाज के सब से गरीब और सब से पिछड़े हुए वर्गों को कहां तक फायदा होता है; अगर उनको फायदा होता है, तब तो वह योजना सफलीभूत समझी जानी चाहिए, वरना नहीं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सरकार की हर एक योजना देश के कमजोर वर्गों के कल्याण और फायदे के लिए प्रारम्भ हो। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि सड़कें बनाई गईं, प्राजेक्ट बने हैं और दवाखाने खोले गये हैं। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि सब से गरीब और पिछड़ा हुआ इन्सान सामाजिक जीवन में कितना उन्नत हो सका है। सामाजिक जीवन ही देश की स्थिति का वास्तविक चित्र होता है। जब हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ है, जब हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो एक आदमी दूसरे को छूने या उसको इन्सान समझने के लिए तैयार नहीं है, तो यह जरूरी है कि सरकार की ओर से इस अवस्था का अन्त करने के लिए कदम उठाये जायें।

समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के पृष्ठ 2 पर संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक 1969 का जिक्र किया गया है। मैं सरकार और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन दस साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रान्त में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व घट जाता है, तो उसका कारण क्या है। उदाहरण के लिए 1967 तक महाराष्ट्र में लोक सभा के लिए 6 सीटें और विधान सभा के लिए 33 सीटें हरिजनों के लिए रिजर्व्ड थीं। क्या वजह है कि वहां का प्रतिनिधित्व अब घट गया है? अगर इस संबंध में कोई राजनैतिक निर्णय लिया गया है, तो उससे संविधान का उल्लंघन होता है और हरिजनों के साथ अन्याय होता है।

अगर जन संख्या के आधार पर सीटें कम की गई हैं, तो मुझे खेद के साथ यह कहना

[श्री कांबले]

पड़ता है कि कुछ लोगों ने धर्म-परिवर्तन कर लिया होगा, लेकिन लोग तो वही हैं और उनकी स्थिति भी वही है। जिन लोगों ने धर्म-परिवर्तन किया है, उन्होंने यह डिमांड की है कि उन्हें वही संहलियतें दी जायें जो हरिजनों को मिलती है। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है कि जो गरीब वर्ग है, उसको संहलियतें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस आधार पर कि धर्म परिवर्तन हो गया है तो हरिजनों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है यह सिलसिला जारी रहा तो भगले पांच सालों में महाराष्ट्र से हरिजनों के लिए लोक सभा या विधान सभा के लिए एक भी सीट नहीं रहेगी।

सरकार द्वारा प्रकाशित फरवरी 1970 के सभाज कल्याण में "अस्पृश्यता के नये आयाम : एक विहंगम दृष्टि" शीर्षक वाले लेख के अन्तर्गत हर प्रदेश से लोक सभा और विधान सभाओं में हरिजनों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं। उसमें महाराष्ट्र से लोक सभा के लिए 6 और विधान सभा के लिए 33 सीटें बताई गई हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस सरकारी प्रकाशन के द्वारा इस प्रकार की गलत फहमी क्यों पैदा की जाती है। इसे लोगों में भ्रम हो जाता है कि लोक सभा में हरिजनों के लिए महाराष्ट्र से छः सीटें हैं। आखिर सरकार ने किस आधार पर इन सीटों को कम किया है। मैं किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहता हूँ। जिन लोगों ने धर्म-परिवर्तन किया है, जिनको नव-बौद्ध कहा जाता है, मैं उनके अधिकारों को नहीं छीनना चाहता हूँ। समाज के गरीब वर्ग को जरूर मदद मिलनी चाहिए। लेकिन संविधान में जो सामाजिक न्याय का अधिकार दिया गया है, इस समय जो वर्ग उससे वंचित हैं, उनके उत्थान और कल्याण की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि उनके साथ अन्याय न होने पाये।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) :
उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की स्थापना का उद्देश्य निश्चित रूप से यह है कि देश के जो दलित वर्ग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर के उनको देश के अन्य वर्गों के साथ बराबरी के स्तर पर खड़ा कर दिया जाये, ताकि वे राष्ट्र के सम्मानित अंग बन जायें। अठारह वर्षों में सरकार ने 275 करोड़ रुपये और इन तीन वर्षों में लगभग 69 करोड़ रुपये खर्च किया है और अगली चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 135 करोड़ रुपये रखा है।

मेरी हादिक इच्छा तो यह है कि इन डिमांडज को डबल कर दिया जाये, सरकार को इस काम के लिए अधिक से अधिक रुपया दिया जाये, जिस से वह वार लेवल पर इस समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि मेरे विचार में इस देश को चाइना और पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है जितना कि उन वर्गों से, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उनका पिछड़ापन देश के लिए बहुत बड़ा कलंक भी है और खतरा भी है, जिसकी वजह से हमारे प्रजातन्त्र का ढांचा किसी भी दिन लड़-खड़ा सकता है। जैसा कि मैंने कहा है, इस समस्या को वार लेवल पर हल करना चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात का हादिक खेद है कि गवर्नमेंट अपनी अयोग्यता के कारण इस लक्ष्य की पूर्ति करने में बिल्कुल असमर्थ रही है। इसलिए मैं इन डिमांडज का विरोध करता हूँ। इस गवर्नमेंट को इस कार्य के लिए डिमांडज पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने पिछले बाईस वर्षों में इन दलित वर्गों का न तो सामाजिक दृष्टि से उत्थान किया है और न आर्थिक दृष्टि से। वह बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज अछूतपन और पिछड़ापन ज्यों का त्यों है।

प्राइम मिनिस्टर महोदय ने, स्वर्गीय पंडित

जवाहरलाल नेहरू ने, स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे शासन में गरीब और अधिक गरीब हो गये हैं और मालदार और मालदार बन गये हैं। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जमीन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उनके लिए सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है। तो फिर उसको इन डिमांड्स के अन्तर्गत रूपा मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

इस देश के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है, तो वह अछूतपन का है। हमें इस अछूतपन के कलंक को मिटाना होगा। बहुत से लोगों की भ्रान्ति है कि अछूतपन हिन्दू धर्म का अंग है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि अछूतपन हिन्दू धर्म का अंग नहीं है। मुगलकाल में अछूतपन भारतवर्ष में नहीं था। यह प्रथा तब से प्रारम्भ हुई, जब से देश में दो बीमारियाँ शुरू हुईं। एक तो टट्टी उठाने वाला वर्ग पैदा किया गया। और दूसरे गौ-मांसाहारी इस देश में हुए। तो अछूत केवल हरिजनों को ही नहीं माना गया। अछूत उनको भी स्वीकार किया गया जो गौ-मांस खाते थे। उसी कारण से यह चीज चली आई।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस देश से टट्टी उठाने की प्रथा समाप्त की जाय। कोई मनुष्य दूसरे के शौच को हाथ से उठाए यह एक कलंक है। इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। इसके लिए आप सेप्टी टैंक बनाइए या और कोई व्यवस्था कीजिए जो आपके दिमाग में आए। लेकिन तुरन्त इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि अगर अछूतपन को मिटाना चाहते हैं तो यह शिक्षा के द्वारा हो सकता है। अभी तक सिर में दर्द था और इलाज पैर का करते रहे हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से बीमारी सवर्ण लोगों के दिमाग

में है और इलाज हरिजनों का होता रहा है। इलाज सवर्ण लोगों के दिमाग का होना चाहिए। यह अछूतपन की प्रथा बिल्कुल मानवता के विपरीत है। इसका सही ढंग से इलाज गवर्नमेंट को करना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई प्रयत्न किया नहीं। सवर्ण लोगों में भी कुछ आर्य समाज जैसी संस्थाएं हैं जो इस कार्य में उनको सहायता दे सकती थीं हमने इशारा भी किया कि आप उन संस्थाओं से सहयोग क्यों नहीं लेते? लेकिन गवर्नमेंट ने कोई सहयोग नहीं लिया। इन्होंने यह समझा सभी इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी का इलाज शिक्षा के द्वारा हो सकता है। तो पहले शिक्षा का अंग यह होना चाहिए कि सवर्ण लोगों के दिमाग का इलाज किया जाय। दूसरे, अगर देखा जाय तो यह सामाजिक कलंक अगर हटाया जा सकता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा के दृष्टिकोण से इनका इतना उच्चतम स्तर बना दिया जाय कि उनको कोई अछूत कहने का साहस न कर सके। तभी यह चीज हो सकती है परन्तु शिक्षा के दृष्टिकोण से जितना भी रुपया खर्च हुआ है, हरिजनों के बच्चों को कोई लाभ उससे हुआ नहीं क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। उन्हें रोजी कमाने के लिए सात-आठ साल के बच्चे से भी काम लेना होता है। स्कूल बराबर में है, पड़ोस में है, लेकिन स्कूल में बच्चे को भेज नहीं सकते क्योंकि बच्चे को उन्होंने भेज दिया भैंस और गाय चराने के लिए, और दूसरे काम करने के लिए। इसलिए इस शिक्षा के द्वारा अनुसूचित जाति और आदिम जातियों का कल्याण तभी हो सकता है जब शिक्षा पद्धति ऐसी बनाई जाय जिससे वह लाभ उठा सकें। उसके लिए उन्हें शिक्षा की विशेष सुविधाएं देनी होंगी, उनके लिए स्कूल का टाइम अलग करना होगा। उनको दोपहर का भोजन भी देना होगा जिससे वह शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर न हों और इस प्रकार की कक्षाएं चलानी होंगी जिससे कि वह शिक्षा भी

[श्री भोम प्रकाश त्यागी]

प्राप्त कर सकें और खाली समय में अपने परिवार के काम में भी सहायता दे सकें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अछूतपन को मिटाने के लिए क्या किया जा रहा है? आज दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए कालोनीज बस रही है। लेकिन हरिजन कहां है? सबर्णों के महल खड़े हो रहे हैं और हरिजनों के कल्याण का नारा लगाया जा रहा है। इस सरकार का यह कर्तव्य था कि तमाम जगह शहरों में जो नई बस्तियां बस रही हैं उनमें वह इस बात को देखती कि मिक्सड पापुलेशन होगी। उसके लिए हरिजनों को हायर परचेज पर मकान और प्लॉट देने होंगे जिससे वह धीरे-धीरे किराया देते हुए सबर्णों की नाक के नीचे, उनके बीच में रह सकें। मिक्सड कालोनीज बसाने की योजना होनी चाहिए।

श्री रमधीर सिंह (रोहतक): गरीब बेचारों को नांगलोई क्यों भेज दिया? यहीं रखते।

श्री भोमप्रकाश त्यागी: उनके लिए मकान बनाए हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने यह किया है। तमाम हिन्दुस्तान में केवल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने हरिजनों के लिए मकान बना कर दिए हैं। और किसी ने ऐसा नहीं किया है।

दूसरी चीज मैं यह कह रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में रेजीडेन्शियल स्कूल्स गुरुकुल प्रणाली के हो जहां होस्टल्स में कम्यलसरी हरिजन और दूसरे लोगों के बच्चों को एक जगह रखा जाय और कम्यलसरी तौर पर एक ही भोजनालय उनके लिये हो। एक ही भोजन, एक ही रहन-सहन सब का हो। दो जगहें ऐसी हैं जहां राष्ट्र का बनना और बिगड़ना होता है। सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए डंडा भी है और कानून भी है। लेकिन कानून इतना एफेक्टिव नहीं होता है।

बनना या बिगड़ना या तो मां की गोद में होता है या गुरु के चरणों में, स्कूल और कालेजों में होता है। आज अछूतपन को मिटाने की बात हो, छुआछूत को, साम्प्रदायिकता को मिटाने की बात हो या सामाजिक दोष हो, इनको दूर करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की बैठक काश्मीर में हो रही है या और कहीं हो रही है लेकिन कभी इन्होंने आज तक देश के अध्यापकों को बुलाकर यह प्रार्थना नहीं की कि तुम अपनी शिक्षा के द्वारा इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करो।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ जो अधिक कड़वी लगेगी। सरकार को अपनी ओर से अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए था जिससे कि इस देश में जन्मगत जाति भेद की जड़ समाप्त हो जाती। जब तक वर्गहीन सोसायटी नहीं बनेगी देश में तब तक समाज का कल्याण हो नहीं सकता और वह एक ही तरह से हो सकता था कि अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता। लेकिन उसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। सरकार की ओर से उसे एन्करेजमेंट दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया।

दूसरी बात मैं गरीब विद्यार्थियों के वजीफे की कहना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ वजीफे दिए हैं गरीब विद्यार्थियों को। 1 करोड़ 40 लाख रुपया 69-70 में दिया गया है। उसमें अनुसूचित जाति के बच्चे कितने हैं—1 लाख 30 हजार और वनवासी बच्चे 25 हजार। यानी इस देश के लगभग 16-17 करोड़ लोगों में से 2 लाख भी नहीं हैं जिनको वजीफे दिए हैं। और वह वजीफे भी या जो कुछ भी सहायता दी जा रही है, आप देहातों में चले जाइए, और किसी जगह जाइए, सब मास्टर लोग झूठे हस्ताक्षर करा कर खा जाते हैं। फारेन में जाने वाले विद्यार्थियों में हरिजनों का बिलकुल सफाया है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हरिजनों पर पहले से अत्याचार बढ़ गए हैं। यह राजनीतिक कारणों से है। जब से इन के अन्दर जागृति हुई है और चुनावों में अपना स्वतंत्र मत देने का अधिकार इन्हें मिला है तब से इन लोगों का अत्याचार उन पर और बढ़ गया है क्योंकि अभी तक यह लोग अपनी मोनोपली समझते थे और समझते-थे कि यह लोग हमारी मुट्ठी में हैं। लेकिन अब जब से यह हुआ है हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। इसको रोकने का एक ही उपाय है और इसके लिए एक ही जगह है। पुलिस में हरिजनों की भर्ती ज्यादा अनुपात में की जाय जिससे कि वहाँ के वहाँ वह इसको रोक सकते हैं। अन्यथा जितनी शिकायतें आती है वह सब वहीं दबा दी जाती है और एक ही कारण दिया जाता है कि गवाहियाँ ठीक नहीं मिली। कारण क्या है कि ऊपर आई. जी. से लेकर नीचे घानेदार तक वही सवर्ण लोग बैठे हैं। गांव का मुखिया बैठा है जिसके दिमाग में अछूतों के लिए घृणा भरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस में इनकी ज्यादा से ज्यादा भर्ती की जाय।

आर्थिक उन्नति के लिए मेरा कहना है कि लैंड रिफार्म, भूमि सुधार अगर आप नहीं करेंगे तो यह काम कभी नहीं हो सकता है। जो जोतता है, जमीन उसकी होनी चाहिए, यह भूमि सुधार आप कीजिए। अगर इस प्रकार की जमीन उनको नहीं देंगे तो बात बनेगी नहीं।

दूसरी चीज यह है कि डेवलपमेंट कारपोरेशन बनना चाहिए खास तौर से आदिवासी और हरिजन जातियों के लिए जिससे कि विशेष रूप से इनका रिहैबिलिटेशन हो, इनको जमीन, इनको मकान बाकायदा देने की योजना होनी चाहिए। अगर यह 135 करोड़ और डिमांड करें उस फंड के लिए जिससे कि इनका रिहैबिलिटेशन हो सके तो वह भी कोई अधिक नहीं होगा। इसकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। आज इनको

घन नहीं चाहिए। इनको भूमि चाहिए, इनको नौकरियाँ चाहिए। न इन को नौकरियाँ मिलती हैं, न इनको जमीन मिल रही है। नौकरियों में आपने रिजर्वेशन नहीं किया। खैर, गवर्नमेंट नौकरियों में रिजर्वेशन है लेकिन आप देख लीजिए सूटेबल कंडीटेट के नाम पर इन में से एक को नहीं लिया जाता। और यह डिपार्टमेंट, यह मिनिस्ट्री बिलकुल गुंगी हैं, अन्वे की तरह बिलकुल चुपचाप बैठी है। कहते हैं कि यह होम मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन समाज-कल्याण फिर कहाँ है? आर्थिक दृष्टिकोण से 22 वर्षों में मैं गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ, इस देश में इस गवर्नमेंट ने कितने हरिजन इंडस्ट्रियलिस्ट बनाए, कितने अनुसूचित जाति के लोगों को और आदिवासियों को गृह उद्योग में लगाया, कितनों को ट्रेनिंग देकर बाजार में दूकान खुलवाई? कितनों को हलवाई की दूकान खुलवाई, कितनों को रेस्टोरेन्ट खुलवाई? यह दूकानें खोल सकते हैं, गवर्नमेंट उसमें सहायता दे, ट्रेनिंग दे और वह उस चीज को सुपरवाइज करें, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आर्थिक दृष्टिकोण से ये उनका उत्थान नहीं करना चाहते हैं।

आदिवासी क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जाने का मौका मिला है। बर्मा, लंका, सिंगापुर, मलेशिया तथा ईस्ट अफ्रीका से आने वाले भारतीयों को इन आदिवासी जंगलों में रिहैबिलिटेट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। केरल से आये हुए कुछ लोगों को वहाँ जमीनें दी गई हैं, जब कि इन आदिवासियों के पास जमीनें नहीं हैं। वे रो रहे थे, हमारे पास तो मुश्किल से पांच पांच एकड़ जमीन है, लेकिन बाहर से आने वालों को 15 और 25 एकड़ जमीनें दी गई हैं। उन्हीं की जमीनें हैं, उसी जंगल में हैं, लेकिन उनके पास नहीं हैं—आदिवासियों की जमीनों पर इस तरह से रिहैबिलिटेट करना ठीक नहीं है। मेरा यह मतलब नहीं है कि आप बाहर से आनेवालों को रिहैबिलिटेट न करें, दण्डकारण्य की योजना

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

आपने बनाई है, ठीक है, लेकिन आप दोनों को बसायें। आदिवासी आज जंगलों में उसी तरह से नंगा घूम रहा है, भूखा घूम रहा है और रिहैबिलिटेशन का एक ड्रामा वहां चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोनों को रिहैबिलिटेट किया जाय। बाहर से आने वालों के पास पैसा है, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिये आप इन की भी सहायता कीजिये।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूँ—समाज कल्याण के लिये, सामाजिक उत्थान के लिये एक गारन्टी सरकार ने दी है। इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे की सुरक्षा करते हुए इनकी आर्थिक उन्नति करेंगे। लेकिन आज, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी गरीबी का नाचायज फायदा उठाते हुए पी० एल० 480 का रुपया इन पर खर्च किया जा रहा है। पी० एल० 480 का रुपया, जो लगभग साढ़े बाईस अरब है, विदेशी ईसाई मिशनरियों के जरिए इन पर खर्च किया जा रहा है और यहां बड़े जोरों से इनका धर्म परिवर्तन चल रहा है मेरी प्रार्थना यह है कि सरकार जहां उनकी आर्थिक अवस्था सुधार रही है, उसके लिये सरकार ने गारन्टी भी दी है, नौकरियों में उनके लिये रिजर्वेशन की गारन्टी दी है, इनको धार्मिक और सांस्कृतिक गारन्टी भी मिलनी चाहिये और विदेशी मिशनरियों द्वारा इनके धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये, ताकि इनका सांस्कृतिक ढांचा सुरक्षित रह सके।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय की मांग का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से इस मंत्रालय को दिन-प्रति-दिन आगे बढ़ना चाहिए, उसमें हम सफल नहीं हुए हैं। आज देश में उत्तर प्रदेश का सूबा सबसे पिछड़ा हुआ सूबा है। आप देखेंगे कि कितने सूबा में हरिजन छात्रावास बने हुए हैं,

लेकिन हमारे प्रदेश में, बहुत बड़ा प्रदेश होते हुए भी, जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए भी, दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले लड़कों के लिए पर्याप्त छात्रावास नहीं है। विशेष कर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। यह प्रदेश बाढ़ और सूखे से पीड़ित है, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति जो भूमिहीन मजदूर है, बाढ़ और सूखे से परेशान है, आपने उसकी सहायता के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया है। मई और जून के महीने में वहां पर हरिजनों के घरों में, जो फूस के बने होते हैं, आग लग जाती है और वे तबाह हो जाते हैं। मैं अभी अपने क्षेत्र से लौट कर आया हूँ—मेरे यहां मधुबनी-बेरिया क्षेत्र में हरिजनों के गांव के गांव आग से जल गए और जो सहायता समाज कल्याण विभाग से उनको मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली। आज हमारे देश के अंदर भूमिहीन मजदूरों की आग और दूसरे लोगों की आग में बहुत बड़ा अन्तर है, उनके बीच बड़ी भारी विषमता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान देकर उनकी सहायता करने का प्रयत्न करे। खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जहां हरिजनों की आबादी बहुत घनी है, जहां गंगा और घाघरा नदियां तबाही फैलाती हैं, बहुत बेकारी फैल रही है। वहां के लोग मजदूरी की तलाश में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग पीलीभीत और नैनीताल में जाकर बस गये हैं। लेकिन वहां भी जो लोग 10-10 साल से बसे हुए हैं, उनको वहां से हटाने का प्रबन्ध किया जा रहा है, जो जमीनें उनके अधिकार में हैं, उनसे छीनी जा रही हैं। वेगुल-सागर क्षेत्र में जो जमीनें बची हुई हैं, आज तक उनको एलाट नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग आ-आ कर उन पर कब्जा किये हुए हैं, इस तरह से हरिजनों की जाय-दादों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहां चकबन्दी की जमीन छूटी हुई है,

लेकिन वह जमीन आज भी हरिजनों के कब्जे में नहीं है। पूर्वी जिलों में यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस तरफ ध्यान दें, कम-से-कम जो जमीन कायदे-कानून के मुताबिक हरिजनों के लिए छोड़ी गई है, उस पर उन का कब्जा होना चाहिए। उनको रहने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए जमीन देनी चाहिए। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि हायर परचेज स्कीम के अनुसार उनको जमीन दी जाय, मैं तो यह चाहूँगा कि उनको निशुल्क दी जाय, लेकिन यदि यह सम्भव न हो, तो कम से कम 20 वर्ष के हायर परचेज पर उनको दी जाय, जिससे कि वे 20 वर्ष के अन्दर उसकी कीमत अदा कर सकें। उनके लिए मकानों की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

आज कल हम देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, इन दंगों में जो कमजोर आदमी मारे जाते हैं, उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं की जा रही है। हमारे यहाँ भी यह मसला है, लेकिन जितनी सहायता उनकी करनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बेकारी और भुखमरी सर्वत्र व्याप्त है। 20-22 वर्षों के बाद भी हमारे प्रदेश के पूर्वी आंचल में, जो आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहा, कोई विकास नहीं हुआ, आज भी वह उपेक्षित पड़ा हुआ है। न खेती है, न भूमि है, न उद्योग धन्धे हैं। अगर कहीं खेती है तो सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। भूमिहीनों के पास कोई उद्योग-धन्धा नहीं है और उद्योग धन्धों को स्थापित करने के लिये कोई सहायता नहीं की जा रही है। उस उपेक्षित क्षेत्र के भू-भाग को डेवलप करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, उस क्षेत्र के अन्दर 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से बिलकुल उपेक्षित हैं। इस उपेक्षित समाज को ऊपर उठाने के लिए इस मंत्रालय को जिस तीव्र गति से कार्य करना

चाहिए, जिस तेजी से बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ पा रहा है। इसका एक कारण है— इस कार्य के लिए जितना रुपया इस मंत्रालय को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम मिलता है। मैं प्रधान मंत्रीजी से तथा कैबिनेट के अन्य मंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि समाज कल्याण के लिए इतना रुपया अवश्य दिया जाना चाहिए जिससे कि वे समाज के इस उपेक्षित वर्ग की समस्या को हल कर सकें।

हमारी विधवाओं के लिए आज कोई सहारा नहीं है अपाहिज और अंगण लोगों के पेंशन के लिये एक योजना स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से है, लेकिन 106 में से एक को ही मिलती है। समाज कल्याण की तरफ से यह स्कीम है, लेकिन इसमें पैसा न होने के कारण जो हमारे अपाहिज, लंगड़े और लूले हैं उनका कोई सहारा नहीं है, कोई पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है। इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ लोगों की समस्या है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में यह काफी बड़ी समस्या है और इनमें से 50 फीसदी लोगों को अपना गुजारा करने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।

देश के अन्दर जो आश्रम स्कूल शुरू हुए हैं, वे विकसित जगहों पर खोले जाते हैं। उपेक्षित और बेकबड जगहों पर इनकी आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये आश्रम स्कूल उपेक्षित जगहों पर खोले जाएं। हमारे यहाँ कुछ रोगियों के लिए अस्पताल होना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता को सूखे और बाढ़ की परेशानियों से बचाने का प्रयत्न होना चाहिए।

हमारे पूर्वी जिलों में कोई छात्रावास नहीं है। मैं छात्रावास के लिये पिछले चार वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूँ, परन्तु अभी तक सफलता नहीं मिली है। हमारे यहाँ तीन-चार डिग्री कालेज हैं, जिनमें 1800 लड़के

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

पढ़ते हैं, इनमें करीब 40 प्रतिशत छात्र हरिजन हैं, लेकिन उनके लिये कोई छात्रावास नहीं है। हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और हमारी मदद करनी चाहिए।

मेट्रिक से ऊपर पढ़ने वालों की सहायता का जो तरीका इस समय चल रहा है, वह ठीक नहीं है! मैं इस सम्बन्ध में चण्डीगढ़ की तरफ आप का ध्यान खींचना चाहता हूँ वहाँ पर इस समय जो तरीका चल रहा है—डाइरेक्ट स्कूलों से लिस्ट समाज कल्याण विभाग को भेजी जाती है और फिर आपका विभाग सहायता करता है, उसी तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ भी होनी चाहिये।

कोचिंग एण्ड ट्रेनिंग के जो सेन्टर सरकार ने चालू किये हैं, वे इस समय देश में चार जगहों पर खोले गये हैं। हम चाहते हैं कि ईस्टर्न यू० पी० में भी एक कोचिंग एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर को खोला जाना चाहिये।

इस समय 18 प्रतिशत हरिजनों को नौकरियां देने की व्यवस्था है, लेकिन वे स्थान भी पूरे नहीं हो पाते हैं। यद्यपि यह परसेन्टेज बहुत कम है और मेरी दृष्टि में बीकर सेक्शन के लिये यह परसेन्टेज कम से कम 25 होनी चाहिये, परन्तु हमारा अधिक से अधिक प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम इस परसेन्टेज को पूरा करें। अधिक से अधिक हरिजनों और बैकवर्ड लोगों को नौकरियों में जगह देनी चाहिये। सक्ती के साथ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि उनकी जगहें खाली न रह जायें और वह जगहें उनको मिल जायें। और जहाँ पर जगहें खाली न हों वहाँ के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उस योग्यता को वे प्राप्त कर सकें।

इस देश में जो उपेक्षित क्षेत्र हैं उनमें प्रकृति मन्त्री के नेतृत्व में एक उत्साह भरा

है, 80 प्रतिशत लोग जोकि पिछड़े हुए हैं, उपेक्षित हैं, परेशान हैं उनको एक उत्साह मिला है लेकिन हम देख रहे हैं कि उस काम को जिस तरह से पूरा करना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। आज जिन के पास कोई जमीन नहीं है, जोकि भूमिहीन मजदूर हैं उनको बैंकों से ऋण मिलना चाहिए या जो डाइवर है उसको टैक्सी चलाने के लिए बैंक से ऋण मिलना चाहिए। लेकिन आज बैंक यह कहती है कि 25 परसेन्ट का आप प्रबन्ध करें, बाकी हम देंगे परन्तु जिसके पास कोई सिक्पोरिटी नहीं होती है उसको बैंक पैसा नहीं देती है। इसके लिये आवश्यक है कि सरकार उन व्यक्तियों की जमानत ले, अपनी जमानत पर उन लोगों को ऋण दिलवाये। इस प्रकार से आप करेंगे तो यह समझा जायेगा कि जो उपेक्षित हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई जमानत नहीं है उनको सरकार खुद जमानत देकर रोजगार दिलवा रही है ताकि कमजोर लोग आगे बढ़ें और देश मजबूत हो सके।

SHRI N. SHIVAPPA (Hassan): This is a very interesting subject that has been discussed at length on the floor of the House repeatedly in the past on many occasions when Members have expressed and reiterated their opinions and demands. The criticisms levelled against the Government for its failure to implement the accepted policy and discharge its constitutional obligations has largely fallen on deaf ears; or, they have pleaded their inability and advanced some pretext about lack of co-ordination or co-operation between the Central Government and the State Governments. In the fields of education and agriculture a lot remains to be done for the betterment of these weaker sections of the community who are the main life of this country. Until and unless their economic and social standard comes up, no progress can be expected in the country.

We have got a very beautiful Government which gives very beautiful and sympathetic expression to its policies which result in failure. So, what is the use of our consti-

ning to criticise this Government? It is a matter for the consideration of this House. But, we have got to voice the grievances of the people whom we represent.

After two decades, the Congress has met with its Waterloo, and it is now only thinking of taking the co-operation of others for its survival in power for some more time, with which I am not concerned in one sense, but in another sense I am also concerned as a citizen of this country, and more so, as a representative of these Scheduled Castes people. At least now they should open their eyes and see that there is some truth in their replies.

I want some categorical answers for the points that I am going to make. Criticisms, suggestions and arguments put forward by hon. Members for improving the lot of oppressed and suppressed Harijans, Adivasis and Scheduled Castes and Tribes and backward people must be considered. 114 Members of Parliament represent them in Parliament; there are 750 MLAs throughout the length and breadth of the country representing these people who number about one hundred million. A sum of Rs. 9.5 crores had been allotted for their education and other things. How this money will be utilised is an interesting story. How it is channelled, from what tank it starts and into what gutter it goes, without reaching the deserving persons is an interesting story. Whether it is meant for education or social welfare or hospital the middleman is going to get it and that sort of corruption is there. I shall give a special point and want the Government to give a categorical answer.

14.45 hrs.

[SHRI SHRI CHAND GOYAL in the Chair]

Though agriculture is a State subject, the Central Government has an agriculture Ministry to help or finance State Governments. Under the land grant rules the scheduled castes people must be given land which is not alienable for 15 years. But really the person who gets the land and pays the money taking advantage of the condition of the unfortunate scheduled castes brother is a politician—may be from this party, maybe from that party; I am not parochial. It is a naked fact and known to everybody, and the Minister also. The poli-

tician gets it transferred the next morning, or after a few months but within a year. I say that ninety per cent of lands granted to the Harijans and Adivasis under the land grant rules in all these twenty years had been transferred to the others, to a politician, or his relative or his friend. Some other law has to be made so that the Harijan can be protected. How can the Central Government come into the picture and help the unfortunate poor men who lose their land, though they are entitled under the law to own that land and possess it, under the Constitution, under the Act. Would the Ministry clarify the position? How is it going to restore to the original owners ninety per cent of such illegally-transferred land? I want a categorical answer. They may say that this comes within the purview of the State Government. But we have a Ministry of Agriculture here. So with the co-operation of the Law Ministry or Agriculture Ministry, it is the collective responsibility of the entire Central Government to honour this constitutional guarantee either by amending the Act or otherwise and to protect the interests of people who suffer at the hands of the unscrupulous politician who has misused his position and exploited the innocence of these people.

We are boasting that we have given crores of rupees for their education. I am not concerned if there is one hostel in U.P. or two hostels in Mysore. Are there sufficient hostels? How many Harijan girls' hostels are there? We would like to hear from the hon. Minister. How many hostels had been started for Harijan girls in the last two decades as monuments of their glorious rule in this country? For the sake of some Harijan friends, for vote catching purposes or on representation by some individual hon. Member for nursing his constituency, they may have opened one hostel here or there. No Harijan will agree that because of that we can conclude that they had implemented it as a matter of policy in the whole country. I want a categorical reply.

The Scheduled Castes and Tribes constitute 23.5 per cent of the total population of this country. When they think of giving them educational facilities, scholarship facilities, employment facilities, be it gazetted or non-gazetted, ICS or IAS, why should not it be put at 23.5 per cent? It should not be a sub-

[Shri N. Shivappa]

ject of controversy in some committee. Why do they fix 12.5 per cent? It should be changed. While they are 23.5 per cent of the population, why should not 23.5 per cent of jobs be reserved for them? That is the standard of their representation. I want a categorical answer in this point. It is not a demand to give a hostel to my constituency or my State. It is the bounden duty of the Ministry to take certain basic principles into consideration while considering measures for the welfare of a deserving section. This is not an undeserving section of our people. If they have some sense of responsibility, I think they will take up this matter seriously and come forward with a categorical reply saying that they are going to raise this percentage to 23.5 rather than keep it at 12 or 6.5 per cent.

I may comment from the Opposition benches. They take for granted this sort of criticism and they may not do anything because they have not got their own Government. They have their *chou-chou* Government. That being so, they must take these *chou-chou* views into consideration and do something which is reasonable.

AN HON. MEMBER: What do you mean by *chou-chou* ?

SHRI N. SHIVAPPA: *Chou-chou* means mixture of all policies.

SHRI RANDHIR SINGH: It is not *chou-chou* but *chun-chun*.

SHRI N. SHIVAPPA: Thank you for correcting me. Whatever has been said on the floor of the House with some responsibility on policy matters, the minister must take it seriously and implement it. So far as implementation is concerned, if a grant is given to a State Government to be spent in favour of a Harijan, if a Harijan official is posted there and if he also becomes highly corrupt, what is to be done? Should he be exonerated? Members of Parliament, Supreme Court judges and even ICS have got their own privileges. But if certain Harijan officials, who have themselves suffered and who know the conditions of the suppressed and oppressed, if they become corrupt and if they misuse the money under the influence of political leader or MP or legislator, in-

cluding some Ministers in States, what is the punishment to be accorded to them? It is not for the opposition members to suggest it; it is the duty of the Government to bring an amending law or a fresh law to see that such officials are dealt with mercifully and seriously. There should be a very drastic law for that purpose. There the Government has become an utter failure during the past two decades and this is the miserable and unfortunate position. I am sorry if I have wrongly used some very drastic words.

There is another interesting thing. A person living in my constituency brought to me a circular issued by the Commissioner for Backward Classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which was circulated to all the States. The circular states that scholarships in favour of Harijan boys above such and such age have been stopped. Until and unless he scores 45 per cent, he will not be eligible to enter such and such institution. I was surprised at it. There is the constitutional guarantee of reservation and other rights given to them to uplift them. It is not the mercy of the officer. The officer cannot take such an arbitrary decision on his own without consulting the Government. Now, what has the Government done in that regard? It is a very pathetic thing for any man of ordinary prudence to observe. It is regrettable that the Government has not taken any action. The order has been stayed but what is the fun of staying it? What was the value of that order? It was void *ab initio*; it has no value at all. It ought to have been thrown into the dustbin and the officer should have been suspended and dispensed with. But that has not been done. In reply to this discussion on the ministry's demands, Government must say that this particular problem which has haunted the minds of the boys who are going in for education will be set at rest. It is hanging on fire. Why should it be so? Why should you curb their privileges? Your slogan is that you are for the workers. But you are not doing anything for their cause. You are not improving their conditions. In fact, you are acting to their detriment. I am sorry, I have to say this. I want the Minister to take this matter very seriously and give a categorical reply that he will remove it, rather than keep it as a stay order. There is no meaning at all in keeping it; it should be thrown.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON): That order has been cancelled.

SHRI N. SHIVAPPA: I think it has been stayed.

SHRI GOVINDA MENON: After staying it has been cancelled.

SHRI N. SHIVAPPA: If it is cancelled, well and good. I hope the government will give a direction to their officers that hereafter such orders should not be issued very arbitrarily in respect of these unfortunate people.

15.00 hrs.

Now I have to give some suggestions with regard to handicrafts. We have taken these unfortunate illiterate people as fit for nothing. Literacy and education are two different things, according to great scientists. Our forefathers, the Aryans who have come to this country, they were not literate. They were passing on information from mouth to mouth. There is a Sanskrit sloka that they were teaching things from mouth to mouth. That was one type of education. Merely because a man in India does not have any qualifications and he is not literate, it does not mean that he is uneducated. He is educated in the sense that he has not certain original techniques with him. For example, the tribal people in Nagaland, Manipur, Khasi and Jaintia hills have a wonderful craft with them of making certain things, certain small things in the rural industries, which the government and the department and the society know. If they have been given the incentive and impetus, the productive capacity of the rural industries would have improved. But that has not been done.

Now you have nationalised the banks. You have ample money. You have sufficient funds with you. You have also a big slogan that you are for the people. You can do anything with that money. You can build the nation in one day. You could build Rome in one day. But will you build it at least before 1972? Please do it earlier.

You say you are in favour of the poor man. But let that sympathy not be as in the case of co-operatives. In the case of the co-

operatives, 23½ per cent of the Central and State funds have been misused by your own representatives and their henchmen as favouritism and things of that sort. Similarly the funds of the banks should not be misused by your henchmen and the colleagues of the politicians. Let that money go to those poor people who deserve it. These crafts should be encouraged. These people should be given all help. Let there be hostels for men and women; let the money go to them. Let there be a law which will give them protection. Let there be a law which will punish those officials who oppress and suppress these poor people.

Finally, I am sorry I have to make this unfortunate remark that this service has become a fertile field for political patronage, corruption, favouritism and ruthless exploitation of the people for the various needs of the political parties, including my party. Do not encourage this kind of misuse and exploitation of the unfortunate brothers. Remember Bapuji; do not kill Bapuji and his ideals.

15.05 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री मधु लिमये (मुंगेर): सभापति महोदय, मैं आज दोपहर यहां था नहीं जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कुछ सदस्यों के द्वारा यहां पर मेरे बारे में कुछ बातें कही गईं। मैं सिर्फ तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहले मेरा यह कहना है कि किसी भी कमेटी की रपट पर आलोचना करने का इस सदन को और इस सदन के सदस्यों को अधिकार है। उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जा सकता है या सदस्य स्वयं उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैंने यह कभी नहीं देखा कि कमेटी स्वयं एक बयान के द्वारा उस आलोचना का खण्डन करती है। सरकार कमेटी ने जो यह काम किया है वह बहुत ही गैर-मुनासिब और अनुचित है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में कभी भी इस बात का समावेश